

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 499/2013/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत, राज., जयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पोद्दार पिगमेन्ट्स लिमिटेड,
रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/04/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 310/अपील्स-11/सीएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) में पारित कर निर्धारण आदेश में अप्रस्तुत घोषणा पत्र 'सी' एवं 'एच' के लिये अन्तर कर आरोपित किया गया था एवं विक्रय बिल जारी होने के पश्चात् क्रेता को डिस्काउण्ट के रूप में दी गई राशि को विक्रय मूल्य में से कम करने को अविधिक मानकर उस राशि पर कर एवं करापवंचन के अपराध में शास्ति आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया गया एवं डिस्काउण्ट की राशि के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) के प्रावधान के प्रकाश में पुनः जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी एवं अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया।

अ



लगातार.....2

5. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में अप्रस्तुत घोषणा पत्र 'सी' एवं 'एच' प्रस्तुत करने के लिये समय दिये जाने का राजस्व द्वारा जो विरोध किया गया है वह उचित नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 94 एस.टी.सी. 410 एवं कर बोर्ड के निर्णय (2012) टैक्स अपडेट 120 में यह निर्णीत किया जा चुका है कि घोषणा पत्र अपीलीय अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किये जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा भी समान घोषणा पत्रों को स्वीकार करने की अवधि दिनांक 31.3.2015 तक बढ़ाई जा चुकी है। अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. प्रकरण में विवाद का अन्य बिन्दु यह था कि व्यवहारी द्वारा विक्रय के पश्चात् जो डिस्काउण्ट क्रेताओं को दिया गया था, उस राशि को टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया एवं उस राशि पर कर का भुगतान नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) के प्रावधान का हवाला देते हुए यह निर्णय किया कि इस प्रावधान अनुसार केवल विक्रय के समय दिये गये डिस्काउण्ट की राशि को ही करयोग्य टर्नओवर से कम किया जा सकता है एवं विक्रय के पश्चात् दिये गये डिस्काउण्ट को टर्नओवर से कम नहीं किया जा सकता एवं उस राशि पर देय कर को अदा करना अनिवार्य है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) के तहत विक्रय के पश्चात् दिये गये डिस्काउण्ट को अमान्य करने के प्रावधान नहीं हैं एवं वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण II में पश्चात्वर्ती डिस्काउण्ट को अमान्य करने के प्रावधान को धारा 2(h) के लिये लागू नहीं किया जा सकता है एवं इस सम्बन्ध में धारा 2(h) के अनुसार डिस्काउण्ट की जांच कर पुनः आदेश किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया एवं धारा 2(h) में केवल विक्रय के समय दिये गये Cash Discount को ही विक्रय मूल्य से कम करना अनुमत बताया।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि विक्रय के बाद के डिस्काउण्ट को भी Sale Price से कम करना इन निर्णयों में विधि अनुकूल माना गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रस्तुत निर्णय **Deputy Commissioner (Appeals) Sales tax (law) Ernakulam Vs. Advani Oerlikon pvt. ltd. (1980) 45 STC 32** का अध्ययन किया गया, जिसमें Cash discount के अलावा Trade discount को भी Sale Price से कम करना विधिक अवधारित किया गया है।

3/



लगातार.....3

9. उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(h) में हालांकि विक्रय के समय दिये गये Cash discount को ही टर्नओवर से कम करना प्रकट है परन्तु वे ट्रेड डिस्काउंट जो विक्रय के अनुबंध में ही निश्चित किये गये हो उन डिस्काउंट को विक्रय मूल्य से कम करना अनिवार्य है क्योंकि वे विक्रय अनुबंध अनुसार ही Sale Price का भाग नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"Although a deduction from the sale consideration on account of cash discount is alone specifically contemplated in the definition of "sale price" by section 2(h) of the Central Sales Tax Act, 1956, cash discount cannot be confused with trade discount. The two concepts are wholly distinct and separate. Cash discount is allowed when the purchaser makes payment promptly or within the period of credit allowed and it is granted in consideration of expeditious payment. A trade discount is a deduction from the catalogue price of goods allowed by wholesalers to retailers engaged in the trade. The trade discount does not enter into the composition of the sale price, but exists apart from and outside it and prior to it. It is immaterial that the definition of "sale price" in section 2(h) of the Act does not expressly provide for the deduction of trade discount from the sale price. As the sale price is arrived at after deducting the trade discount, no question of deduction from the sale price of any sum by way of trade discount arises. Having regard to the nature of a trade discount, there is only one sale price between the wholesale dealer and the retailer, and that is the price payable by the retailer calculated as the difference between the catalogue price and the trade discount. There is only one contract between the parties, the contract being that the goods will be supplied by the wholesale dealer to the retailer at the aforesaid sale price. Therefore, the trade discount cannot be included in the taxable turnover of the wholesale dealer for the purpose of assessment under the Central Act."

10. उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड डिस्काउंट विक्रय के अनुबंध अनुसार बाद में कम किये जा सकते हैं परन्तु विक्रय के बाद किसी विशिष्ट कारण से कोई राशि क्रेता को दी जाती है वे टर्नओवर से कम नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में उक्त निर्णय में माननीय गुजरात एवं मद्रास उच्च न्यायालयों के निर्णयों का विवेचन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि गुजरात के प्रकरण में माल के भाव कम होने से या मद्रास के मामले में बोनस के रूप में Incentive देने की राशि को कम नहीं करने का निर्णय विधिसम्मत था एवं उन राशियों को Sale price से कम नहीं किया जा सकता।

3


लगातार.....4

11. फलतः अपीलीय निर्देशों में पुनः जांच करने के आदेशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय दिया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी डिस्काउंट के मामले में यह जांच करे कि वे cash Discount चाहे वे विक्रय के बाद में दिये गये हैं परन्तु विक्रय के समय की शर्त अनुसार दिये गये हैं तो वे अनुमत होंगे परन्तु अन्यथा किसी कारण से वह राशि क्रेता को दी गई है तो वह राशि विक्रय मूल्य में कम नहीं की जा सकती। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जांच कर पुनः आदेश पारित करें।


12. जहां तक धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में व्यवस्था दी गयी है कि व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहार का इंड्राज लेखा-पुस्तकों एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में किया गया है तो शास्ति का आरोपण अनुचित है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहारों का इंड्राज अपनी लेखा-पुस्तकों एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में किया हुआ है। अतः धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. उक्तानुसार घोषणा पत्र 'सी' एवं 'एच' के बिन्दु पर एवं धारा 61 की शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपील खारिज की जाती है एवं डिस्काउण्ट के बिन्दु पर अपीलीय आदेश के निर्देशों में उक्त टिप्पणियों अनुसार आदेश करने की टिप्पणी के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के निर्णय को यथावत रखा जाता है। उक्त टिप्पणी एवं निर्देशों के साथ पुनः आदेश पारित करने के अपीलीय निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य